देशबंधु / रायपुर / 4.9.001

मत-मतांतर

जन आंदोलनों पर प्रतिबंध

◆ आशीष कोठारी

गुजरात और मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों ने मांग की है कि 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर दु:खद प्रभाव डालने वाला नहीं, तो भी हास्यास्पद तो है ही। लोक व्यवस्था और नैतिकता के इस अपने ढंग के निराले ठेकेदारों में अब प्रतिबंध लगाने की मांग करने की एक नई प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे मांग करते हैं कि इस फिल्म या उस नाटक पर प्रतिबंध लगाओ, संगठनों पर प्रतिबंध लगाओ, इस या उस संघ पर प्रतिबंध लगाओ। अब इस जत्थे ने उस आंदोलन को अपना निशाना बनाया है जो स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक स्फूर्ति और प्रेरणा देने वाला जन आंदोलन है। वह एक ऐसा आंदोलन है जिसने न केवल नर्मदा घाटी में जनाधार बनाया है बल्कि सारी दुनिया के मर्म को छुआ है। मजे की बात यह है कि यह मांग एक ऐसे परिषद की ओर से की गई है जो खुद मानव अधिकार समूह होने का दावा करता है।

अहमदाबाद की इस संस्था द्वारा गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी को जो ज्ञापन दिया गया है उस पर हस्ताक्षर करने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी, शंकरसिंह वाघेला, दिलीप पारीख, छबीलदास मेहता और सुरेश मेहता तथा मध्यप्रदेश की उपमुख्यमंत्री जमुनादेवी और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष राधाकिशन मालवीय, शामिल हैं। कहा जाता है कि राधाकिशन मालवीय मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह के विश्वासपात्र भी है।

'ज्ञापन में गैर कानूनी गतिविधि कानून १९५७ के अंतर्गत 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित करने की मांग के साथ-साथ आंदोलन की तथाकथित विध्वंसकारी गतिविधियां, विदेशी धन प्राप्त करना, विदेशी एजेंसियों को देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रिपोर्ट भेजना, नर्मदा घाटी में मानव अधिकार हनन, आयकर का अपवंचन और परियोजना से प्रभावित लोगों तथा सर्वेक्षण एवं पुनर्वास के काम में लगे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा आदि बातें उजागर की गई हैं। कथित 'नागरिक स्वतंत्रता की राष्ट्रीय परिषद' के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना को यह धमकी देते हुए उद्धत किया गया है यदि केन्द्र ने 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को प्रतिबंधित करने में विलंब किया तो इस मामले को वे हाईकोर्ट में ले जाएंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मांग स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' उन लाखों लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है जो अकारण ही विस्थापित कर दिए जाएंगे और जिन्हें अपनी भूमि और संसाधनों से बेदखल कर दिया जाएगा। यह सब उस परियोजना के लिए किया जाएगा जिसकी उपयुक्तता एवं वांछनीयता पर एक गंभीर प्रश्न लगा हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना पर किसी तरह की राय रखने के बावजूद जो भी व्यक्ति मानव अधिकारों के सिद्धांतों से सहमत होगा वह मानेगा कि बेदखली को अन्यायपूर्ण मानने और उसका विरोध करने का उन्हें अधिकार है। ऐसी मांग को प्रतिबंधित करने पर जोर देना, और वह भी तथाकथित नागरिक स्वतंत्रता संगठन के द्वारा, निरर्थक और उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन यह मांग मात्र बेतुकी नहीं, खतरनाक ही है। इस मांग में यह सिद्धांत निहित है कि सरकार के निर्णयों के विरुद्ध असहमति व्यक्त करना स्वभावत: राष्ट्र विरोधी हैं। गैर कानूनी गतिविधि कानून के शब्द और भावना के अनुसार यह एक अलिखित धारणा है कि राज्य कोई गलती नहीं कर सकता और वह जो कुछ करता है वह राष्ट्र के हित में ही होना चाहिए। लोगों का भारतीय राज्य में इस प्रकार का मार्मिक विश्वास भी है। यदि प्रतिबंध की मांग करने वालों के असली हितों की स्पष्टता न हो तो ऐसी अंधी आस्था व्यक्ति को भावुक बना सकती है। लेकिन उनके असली हित बिल्कुल स्पष्ट है। परियोजना के प्रस्तावक दशकों से प्रचार कर रहे हैं कि सरदार सरोवर कच्छ और सौराष्ट्र के लाखो प्यासे लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बन रही है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वह अकालग्रस्त गुजरात को जीवन धारा उपलब्ध कराने के लिए भी नहीं हैं।

वह तो सबसे अधिक उन बड़े किसानों, उद्योगों और मध्य गुजरात के बड़े नगरों के लिए है जिनकी बिजली और पानी की प्यास का कोई अंत नही है। यह उन ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों के लालच को पूरा करने के लिए अधिक है जो ज्यादा बोली लगाने वाले को अपनी आत्मा भी बेच सकते हैं। यह विकास के एक असफल मॉडल को फिर से दोहराने के लिए अधिक है। परियोजना के निष्पक्ष एवं सच्चे विशेषज्ञ- मूल्यांकनों और अन्य उपलब्ध आंकड़ों ने बार-बार यह दिखा दिया है कि पानी अकालग्रस्त कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों तक मुश्किल से ही पहुंच पाएगा।

वह वहां तक पहुंचे इसके पहले ही मध्य गुजरात के समृद्ध लोग उसे और समृद्ध बनने के लालच में गटक लेंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात के अकालग्रस्त लोगों के स्वघोषित मुक्तिदाता एक बहुत ठोस, जमीनी और विशेषज्ञों व कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाए गए अधिक सस्ते विकल्पों के बारे में सुनने को ही तैयार नहीं है। कच्छ और सौराष्ट्र के अकाल और जल के अभाव को दूर करने का उपाय है- विकेन्द्रित जल संग्रहण। जहां ऐसी परियोजनाएं स्वयं ग्रामीणों द्वारा बनाई गई हैं तो वे इस क्षेत्र के अनेक गाँवों में कारगर और अकाल मुक्ति की सफल रणनीति सिद्ध हुई हैं। प्रतिबंध की मांग लोकतंत्र और स्वतंत्रतो पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के कारण भी खतरनाक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैधानिक दृष्टि से असहमति के अधिकार हमारे कठिन संघर्ष से प्राप्त किए गए लोकतंत्र में समाहित ऐसे अधिकार हैं, जिस पर भारत को गर्व है।

'नर्मदा बचाओ आंदोलन' की विशिष्टता है कि वह विगत १६ वर्षों से एक अहिंसक आंदोलन बना हुआ है। हिंसक घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन वे बहुत उत्तेजित किए जाने पर ही हुई हैं। फिर भी इस आंदोलन के नेताओं ने अपने को इस प्रकार की घटनाओं से अलग रखने का प्रयास किया है। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों से अहिंसक साधनों का प्रयोग करने की बात कही है। *(सप्रेस)*